



भारत का बढ़ता मत्स्य पालन क्षेत्र

संस्थान, निवेश और समावेशन


6 अप्रैल, 2026

मुख्य बिंदु

- केंद्रीय बजट 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,761.80 करोड़ रुपये की अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता का प्रस्ताव किया गया है।
- 2026-27 में 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएमएमएसवाई मत्स्य पालन विकास का केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है।
- केसीसी का लाभ 4.39 लाख मछुआरों को मिला, 33 लाख लाभार्थियों को बीमा कवरेज मिला, और लगभग 7.44 लाख मछुआरा परिवारों को आजीविका सहायता से लाभ हुआ है।
- मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है।

परिचय

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इसका वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान है। मत्स्य पालन क्षेत्र विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और आय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपने बढ़ते संरचनात्मक महत्व को दर्शाते हुए, कृषि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में मत्स्य पालन की हिस्सेदारी लगभग 7.43 प्रतिशत है, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में



सबसे अधिक हिस्सेदारी है। इस बढ़ती हिस्सेदारी को निरंतर नीति प्राथमिकता से और मजबूत किया गया है।

दीर्घकालीन कार्यक्रमों के कारण, कुल मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन से दोगुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया, जो इस अवधि के दौरान 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। समवर्ती रूप से समुद्री खाद्य निर्यात में काफी वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जमे हुए झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु बने हुए हैं। अमेरिका और चीन इसके प्रमुख बाजारों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के बढ़ते पैमाने और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को उजागर करते हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट 2026-27 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,761.80 करोड़ रुपये का अब तक का उच्चतम वार्षिक बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है, जो इसकी बढ़ती नीतिगत प्राथमिकता को दर्शाता है। इस कुल परिव्यय में से 2,530 करोड़ रुपये लक्षित सरकारी योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी, बीमा कवरेज, क्षमता निर्माण पहल, बुनियादी ढांचे का विकास और मछुआरों तथा मछली किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए कल्याण सहायता तंत्र शामिल हैं।



देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास को संस्थागत रूप देना

मत्स्य पालन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो विशेष रूप से तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों मछुआरों के लिए खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, निर्यात आय और आजीविका में योगदान देता है। नीली क्रांति के बाद यह क्षेत्र पारंपरिक व्यवस्था से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़कर अधिक संगठित, प्रौद्योगिकी-संचालित और मूल्य-श्रृंखला-उन्मुख ढांचे की ओर बढ़ चला है। नीतिगत कार्यक्रमों ने समुद्री, अंतरदेशीय और जलीय कृषि क्षेत्रों में एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास को प्राथमिकता दी है। मछली पकड़ने के बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे, गहरे समुद्र के जहाजों और उन्नत जलीय कृषि प्रणालियों में निवेश ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और मूल्यवर्धन को मजबूत किया है।

नीली क्रांति

वर्ष 2015 में शुरू की गई नीली क्रांति उत्पादकता बढ़ाकर, बुनियादी ढांचे का विस्तार करके और आधुनिक प्रथाओं को बढ़ावा देकर मछली उत्पादन को बढ़ाने और अंतरदेशीय तथा समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास करती है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाने और मछली पकड़ने के बाद प्रबंधन, मछलियों का पता लगाने की क्षमता, मछुआरा कल्याण और बाजार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र के बदलाव में तेजी लाने के लिए वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की।


आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, बाजार पहुंच और वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए 544 करोड़ रुपये के निवेश से 2,195 मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन के माध्यम से सामूहिक संस्थानों को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2026 तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और मंदी की इस अवधि के दौरान पोषण और आजीविका सहायता से लगभग 4.33 लाख मछुआरा परिवारों को 1,681.21 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लाभ हुआ है, इससे आय स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। सामूहिक रूप से, 2014-15 से लागू मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं ने अनुमानित 74.66 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, जो समावेशी और सतत आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

मत्स्य पालन क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा को आगे बढ़ाना

देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम का कालानुक्रमिक प्रतिनिधित्व उत्पादन-केंद्रित विस्तार से डिजिटलीकरण और स्थिरता-उन्मुख शासन में इसके परिवर्तन को दर्शाता है। नीली क्रांति (2015) ने मत्स्य पालन को एक रणनीतिक विकास क्षेत्र के रूप में बदल दिया। 2018-19 में, बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों, कोल्ड चेन और प्रसंस्करण इकाइयों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) शुरू किया गया था।

मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) (2019) ने संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार किया, इसके बाद पीएमएमएसवाई (2020) का शुभारंभ हुआ, जो उत्पादन वृद्धि, बुनियादी ढांचे और मूल्य श्रृंखला विकास पर केंद्रित एक व्यापक योजना है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई (2021-22) और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) (2023-24) के तहत आधुनिक जलीय कृषि को बढ़ावा देने में औपचारिकता, बीमा और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) और समुद्री मत्स्य जनगणना ने पारदर्शिता और योजना को मजबूत किया। वर्ष 2025 में, विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्रों के लिए सतत मत्स्य पालन नियमों की अधिसूचना ने नियामक अनुपालन, संसाधन संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूत किया।

कुल मिलाकर, यह क्षेत्र एक व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, विस्तारित उत्पादन, डिजिटल एकीकरण, मजबूत संस्थान और टिकाऊ शासन शामिल हैं। ये प्रगति देश के मत्स्य पालन क्षेत्र को तेजी से सुदृढ़ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित कर रही है।



उत्पादकता बढ़ाने, जोखिम को कम करने और डिजिटल शासन के लिए सरकार की पहल

मत्स्य पालन क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, पोषण सुरक्षा और निर्यात विस्तार में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में तेजी से उभर रहा है। लक्षित सार्वजनिक नीति कार्यक्रमों ने **उत्पादकता वृद्धि**, **वित्तीय समावेशन** का विस्तार और **मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में बुनियादी ढांचे** को मजबूत करने की सुविधा प्रदान की है।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीतिगत पहल


सरकार ने आधुनिक कृषि प्रणालियों का विस्तार करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और नुकसान को कम करने तथा मूल्य प्राप्ति में सुधार के लिए मछली उत्पादन के बाद की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नीतिगत पहल की है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

पीएमएमएसवाई का उद्देश्य **मछली उत्पादन और इसकी उत्पादकता** बढ़ाना, गुणवत्ता मानकों को उन्नत करना, तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, मछली उत्पादन के बाद के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मत्स्य पालन प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना में व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण शामिल है। इसमें मछलियों का पता लगाने की क्षमता, संस्थागत मत्स्य पालन प्रबंधन और मछुआरों

के सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर जोर दिया गया है। पीएमएमएसवाई ने 2026-27 में 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मत्स्य पालन विकास को जारी रखा है।

5 मार्च, 2026 तक पीएमएमएसवाई के तहत स्वीकृत गतिविधियों में अंतरदेशीय जलीय कृषि के लिए 23,285 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 52,058 जलाशय पिंजरे (मत्स्य पालन व्यवस्था), 27,189 मछली परिवहन और हैंडलिंग इकाइयां, 634 मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयां (बर्फ संयंत्रों और कोल्ड स्टोरेज सहित) और 6,896 मछली खुदरा बाजार



और कियोस्क शामिल हैं। इन्हें मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मछली पकड़ने के बंदरगाहों, मछली लैंडिंग केंद्रों, फीड मिलों, कोल्ड स्टोरेज, बाजारों और अन्य मूल्यवर्धन सुविधाओं जैसे सहायक बुनियादी ढांचे से पूर्ण किया जाता है।

यह योजना प्रौद्योगिकी-संचालित जलीय कृषि प्रणालियों को प्राथमिकता देती है जो संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करते हुए उत्पादकता में सुधार करती हैं। यह उच्च घनत्व, जल-कुशल मॉडल जैसे रिसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और बायो-फ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देता है, जो उत्पादन को बढ़ाता है, गुणवत्ता बनाए रखता है, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को सक्षम करता है और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ मछली पालन में मदद मिलती है।

रिसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस): यह एक आधुनिक मछली-पालन विधि है जिसमें पानी को फिल्टर किया जाता है और उसका फिर से उपयोग किया जाता है। इस विधि में अपशिष्ट और गंदगी को हटा दिया जाता है, जिससे वह पानी फिर से उपयोग योग्य बन जाता है। यह विधि बहुत कम भूमि और पानी का उपयोग करके अधिक संख्या में मछली पालन करने के लिए आदर्श है।

बायो-फ्लॉक प्रौद्योगिकी: बायो-फ्लॉक सिस्टम जैविक कचरे को फीड में परिवर्तित करने, पानी की गुणवत्ता और मछली के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए लाभकारी रोगाणुओं का उपयोग करते हैं। यह पर्यावरण-अनुकूल और लागत प्रभावी तरीका कम जगह में अधिक मछली उत्पादन के लिए आदर्श है और यह पुराने समय से चली आ रही मत्स्य पालन व्यवस्था को जारी रखता है।

5 मार्च, 2026 तक पीएमएमएसवाई के तहत 902.97 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 12,081 आरएएस इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जबकि 523.30 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 4,205 बायो-फ्लॉक


इकाइयों को मंजूरी दी गई है। यह आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित जलीय कृषि प्रणालियों को अपनाने में मजबूत प्रगति को दर्शाता है।

जोखिम कम करने और वित्तीय सुरक्षा के लिए नीतिगत पहल

सरकार ने लक्षित योजनाओं के माध्यम से मछुआरों और मछली पालकों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत उन्हें औपचारिक प्रणाली में लाया गया और ऋण, बीमा तथा आय सहायता का लाभ दिया गया।

A. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) केंद्रीय क्षेत्र की एक उप-योजना है जिसे पीएमएसएसवाई के तहत लागू किया गया है। यह 2023-24 से 2026-27 तक चार साल की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिचालित है। इसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है।



यह योजना औपचारिकता को आगे बढ़ाने, बीमा कवरेज का विस्तार करने, संस्थागत वित्त तक पहुंच को मजबूत करने और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन और मछली की उपस्थिति का पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देकर मत्स्य पालन क्षेत्र के संरचनात्मक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों, जलीय कृषि किसानों और संबद्ध हितधारकों के लिए वित्तीय सुदृढ़ता, जोखिम में कमी और बाजार एकीकरण को बढ़ाना है, ताकि अधिक संगठित, पारदर्शी और टिकाऊ मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।

अ. मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के भीतर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। कार्यशील पूंजी तक समय पर और सस्ती पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार की गई केसीसी योजना, मछली पालकों को महत्वपूर्ण साधनों की खरीद के वित्तपोषण और मछली उत्पादन तथा इससे संबद्ध गतिविधियों के लिए पैसे की उपलब्धता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। 2019 से, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को शामिल करने के लिए इस योजना के दायरे को बढ़ाया गया है, जिससे संबद्ध कृषि क्षेत्रों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच का विस्तार हुआ है और एकीकृत ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा दिया गया है। सरकार ने मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए केसीसी योजना के तहत ऋण सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है, जिससे मछुआरों, मछली पालकों, प्रसंस्करण कर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार हुआ है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, वित्तीय समावेशन और कल्याण कार्यक्रमों से 4.39 लाख मछुआरों को केसीसी लाभ मिला, 33 लाख लाभार्थियों को बीमा कवरेज मिला और मंदी की अवधि के दौरान औसतन 7.44 लाख मछुआरा परिवारों को आजीविका सहायता मिली है। यह सुदृढ़ता बढ़ाने, आय को स्थिर करने और संगठित बाजारों के साथ जुड़ाव को गहरा करने में औपचारिक ऋण की भूमिका को दर्शाता है।

अ. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ)

एफआईडीएफ को 2018-19 में समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मत्स्य क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस गति को जारी रखने के लिए, सरकार ने एफआईडीएफ योजना को अप्रैल 2023 से मार्च 2026 तक तीन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया। इस योजना में 12.50 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया जाता है, जिससे मछुआरों और उद्यमियों को कम वित्तीय जोखिम के साथ आवश्यक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलती है। एफआईडीएफ के तहत प्रति वर्ष 3 प्रतिशत तक की ब्याज छूट भी प्रदान की जाती है। यह सहायता नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं को प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने में मदद करती है।

जनवरी 2026 तक एफआईडीएफ के तहत प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- एफआईडीएफ के तहत 6,685.78 करोड़ रुपये की 225 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली लैंडिंग केंद्र और मछली प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।

- इन स्वीकृत परियोजनाओं ने मत्स्य पालन क्षेत्र में कुल 6,685.78 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है, जिसमें निजी उद्यमों का योगदान 754.50 करोड़ रुपये का है।
- पूरी हो चुकी परियोजनाओं ने मछली पकड़ने वाले 8,100 से अधिक जहाजों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं बनाई हैं, मछली लैंडिंग में 1.09 लाख टन की वृद्धि हुई है, लगभग 3.3 लाख मछुआरों और अन्य हितधारकों को लाभ हुआ है। इससे लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

डिजिटल गवर्नेंस के लिए नीतिगत पहल

डिजिटल गवर्नेंस के लिए व्यापक नीतिगत पहल के हिस्से के रूप में, सरकारी कार्यक्रम मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल ढांचे को संस्थागत बनाने का प्रयास करते हैं। इंटरऑपरेबल डेटाबेस बनाकर और क्रेडिट, बीमा, पता लगाने की क्षमता और प्रोत्साहनों तक निर्बाध पहुंच को सक्षम करके, यह मूल्य श्रृंखला में पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-संचालित निर्णय लेने को मजबूत करता है।

राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच (एनएफडीपी)


मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन और औपचारिकता को आगे बढ़ाने के लिए पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत सितंबर 2024 में राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) लॉन्च किया। मूलभूत स्तर पर, एनएफडीपी मछुआरों, मछली पालकों, सहकारी समितियों, उद्यमों और अन्य मूल्य श्रृंखला हितधारकों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान तैयार करता है। यह पारदर्शिता में सुधार, सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और डेटा-संचालित नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण भी कर रहा है।

परिचालन रूप से, एनएफडीपी (https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/?t=PM_MKSSY) एकल-खिड़की डिजिटल प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो लाभार्थियों को संस्थागत ऋण, जलीय कृषि बीमा, मछलियों का पता लगाने की क्षमता तंत्र और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहनों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह मंच मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मजबूत करने में भी सहयोग करता है और प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पहल की सुविधा प्रदान करता है।

5 मार्च, 2026 तक इस प्लेटफॉर्म पर 30.60 लाख से अधिक हितधारकों ने पंजीकरण कराया, 12 बैंकों को एक सामान्य डिजिटल ढांचे से जोड़ा गया है, और 217 ऋणों के वितरण को सक्षम किया है, जिससे मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में औपचारिकता, वित्तीय समावेशन और दक्षता को बढ़ावा मिला है।

समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025

31 अक्टूबर, 2025 को शुरू की गई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना (एमएफसी) 2025, देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में पूरी तरह से डिजिटल और भू-संदर्भित डेटा संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है।



एमएफसी ने कस्टम मोबाइल एप्लिकेशन से समर्थित एक उन्नत डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाया, जिसमें **व्यास-एनएवी, व्यास-भारत और व्यास-सूत्र** शामिल हैं। इससे वास्तविक समय, भू-संदर्भित गणना, तत्काल डेटा सत्यापन और फील्ड संचालन की निरंतर निगरानी संभव हो सकी है। पहली बार, जनगणना से मछुआरा परिवारों के विस्तृत सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार हुई हैं, जिसमें आय, बीमा की स्थिति, ऋण तक पहुंच और सरकारी योजनाओं में भागीदारी की जानकारी शामिल है।

मिशन-संचालित जलाशय विकास और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला विस्तार

भारत दुनिया के सबसे बड़े अंतरदेशीय जलाशय नेटवर्क में से एक है, जो लगभग **31.5 लाख हेक्टेयर** में फैला हुआ है और इससे अंतरदेशीय मत्स्य पालन के विस्तार की अपरा संभावना है। मिशन अमृत सरोवर के तहत सरकार ने **68,827 अमृत सरोवरों** के विकास की सुविधा प्रदान की है, जिसमें **मत्स्य पालन गतिविधियों के साथ एकीकृत 1,222 जल निकाय** शामिल हैं। इससे मछली संस्कृति, आजीविका विविधीकरण और जलीय परितंत्र की वृद्धि (1 फरवरी, 2026 तक) को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से **तटीय और अंतरदेशीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों** के विकास को एकीकृत करने के लिए लक्षित कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

इन उपायों का उद्देश्य स्टार्टअप्स, महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों और **मछली पालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ)** को शामिल करके बाजार संबंधों और मूल्यवर्धन को मजबूत करना, समावेशी विकास, उद्यमिता और टिकाऊ मत्स्य पालन-आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है।

समुद्री मत्स्य पालन और ईईजेड संसाधनों का दीर्घकालीन शासन

अंतरदेशीय जलाशयों के अलावा, देश की **11,099 किलोमीटर** से अधिक की व्यापक तटरेखा और लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 13 समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरा समुदाय के **50 लाख से अधिक सदस्यों** की आजीविका चलाने में मददगार है। समुद्री मत्स्य पालन नीली अर्थव्यवस्था का एक रणनीतिक घटक है, जो निर्यात आय और राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा में योगदान देता है।

जलीय संसाधनों के जिम्मेदार दोहन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने **ईईजेड और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों (2025) में मत्स्य पालन** के सतत दोहन के लिए नियमों और दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है, जिसमें स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन मानकों के साथ एक दूरदेशी नियामक ढांचा स्थापित किया गया है।

विदेश में उतरने वाले और निर्यात के रूप में माने जाने वाले लोगों को शुल्क मुक्त दर्जा देने वाले नीतिगत उपायों का उद्देश्य मूल्य प्राप्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, जबकि मछलियों की उपस्थिति का पता लगाने की क्षमता, स्थिरता और अनुपालन सुरक्षा उपाय दुरुपयोग को कम करते हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) गुणवत्ता आश्वासन, बाजार सुविधा, क्षमता निर्माण और पारिस्थितिक प्रबंधन के माध्यम से सतत निर्यात वृद्धि को आगे बढ़ाता है। इससे दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा और आजीविका लचीलापन मजबूत होता है।

निष्कर्ष

मत्स्य पालन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग तीन करोड़ लोगों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले तटीय और अंतरदेशीय समुदायों की आजीविका में मदद करता है। हाल के वर्षों में, इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखी गई है, जो उत्पादन का विस्तार करने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और आधुनिक, टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतिगत कार्यक्रमों से प्रेरित है। केंद्रीय बजट 2026-27 पूंजी-गहन निवेश, आधुनिक जलीय कृषि प्रणालियों, स्मार्ट और टिकाऊ मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने सहित निर्यात क्षमता को अनलॉक करने के लक्षित उपायों के माध्यम से इस परिवर्तन को और मजबूत करता है।

इस परिवर्तन को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के लिए सतत दोहन नियम, समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 और पीएमएमएसवाई और पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत प्रमुख निवेश जैसे प्रमुख सुधारों की मदद से मजबूत किया जा रहा है, जो साक्ष्य-आधारित शासन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन और कल्याण वितरण को मजबूत कर रहे हैं। सामूहिक रूप से, ये पहल मत्स्य पालन और जलीय कृषि का सतत प्रबंधन करके सतत विकास लक्ष्य 14: पानी के नीचे जीवन को प्राप्त करने में सार्थक योगदान देते हुए एक अधिक समावेशी और मजबूत नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं।

संदर्भ

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- <https://dof.gov.in/sites/default/files/2025-04/AnnualReport2025English.pdf>
- https://dof.gov.in/sites/default/files/2021-10/Reform_Booklet_English.pdf
- <https://dof.gov.in/fidf>
- https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/KnowledgeCentre/Sector%20Profile/Sector_Profile_Fisheries.pdf
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelD=152138&ModuleId=3®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2117744>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112266>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149640>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110275>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117260>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155190>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149639>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221582®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221582®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2213532®=3&lang=1>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2225246®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211212®=3&lang=1>
- <https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2171218®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2171218®=3&lang=2>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1777708®=3&lang=2>

वित्त मंत्रालय

- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106230>
- https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
- <https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

- <https://nfdb.gov.in/PDF/100%20SSS%20English.pdf>

- <https://nfdb.gov.in/PDF/PMMSY-Guidelines24-June2020.pdf>
- https://nfdb.gov.in/PDF/06_Ras%20Booklet%20Eng.pdf
- <https://www.nfdb.gov.in/PDF/Biofloc%20booklet%20v6.pdf>

लोक सभा

- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1422_vx99Ty.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1413_DS01Ap.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4924_euUXep.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU429_1EhxCL.pdf?source=pqals
- https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1482_SLutmx.pdf?source=pqars

पीआईबी

- <https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=149135>
- <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192114®=3&lang=2>
- <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc20251120700601.pdf>
- <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?Noteld=157597&ModuleId=3®=3&lang=1>

PIB Research

पीके/केसी/एके/एचबी